राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

S.N.: F:/WCD/ICDS/( )/UNI-Cons/09/ 62649-677 Dated 17.9.09

उपनिदेशक (बाल विकास)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
जिला ....।
(बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, धौलपुर,
सवाई माधोपुर को छोड़कर)

विषय :– विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तृतीय चरण के क्रम में ।

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 20734–761 दिनांक 25.03.09 एवं 51640–666 दिनांक 28.07.09 ।

विकेन्द्रीकरण पूरक पोषाहार निर्माण एवं वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण पूर्ण हो चुके है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा तृतीय चरण में जिला स्तरीय प्रशिक्षण 15 अप्रेल,09 तक पूर्ण करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र दस दिन में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था जो अभी तक अप्राप्त है।

जिन जिलों में तृतीय चरण में जिला स्तरीय प्रशिक्षण नही हुये है अब यह प्रशिक्षण बिना विलम्ब किये 25 सितम्बर, 09 तक आवश्यक रूप से किये जावे एवं तिथि निश्चित कर तीन दिन पूर्व प्रभारी अधिकारी, यूनिसेफ को दूरभाष पर अथवा पत्र द्वारा सूचित करें।

जिन जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण पूर्व में आयोजित किये जा चुके है, उपयोगिता प्रमाण–पत्र मय बिल/वाउचर की फोटो प्रति, प्रशिक्षण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ सहित एक सप्ताह में आवश्यक रूप से भिजवाये।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत बजट की 50 प्रतिशत राशि के ड्राफ्ट पूर्व में ही भिजवाये जा चुके है।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण के उपरान्त, चयनित परियोजना के प्रत्येक पांच–पांच आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए एक उपयुक्त स्थान/(कलस्टर) पर प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराये जाये। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयनित समूह के दो सदस्य तथा एक कार्यकर्त्ता कुल तीन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार एक कलस्टर पर औसत पांच केन्द्रों से सम्बन्धित समूहों के दो–दो सदस्य तथा एक–एक कार्यकर्ता (कुल संख्या–10 + 5 = 15) को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अतः जिला स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व ही प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए सक्षम स्वयं सहायता समूहों का चयन करा लेवे जिससे जिला स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान ही सैक्टर स्तर के प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जा सके और 15 अक्टूबर,09 तक प्रशिक्षण पूर्ण करवाये जाना सुनिश्चित हो सके। सक्षम स्वयं सहायता समूहों के चयन के लिए दिशा निर्देश विभागीय परिपत्र दिनांक 19.02.2008 में दिये हुए हैं उनकी पालना की जावे। सक्षम समूहों की चयन प्रकिया में पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता के अलावा प्रचेता एवं साथिन का भी सहयोग एवं सहमति ली जावे। स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण उपरांत निर्धारित प्रपत्र में परियोजना अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों के मध्य एम.ओ.यू. निष्पादित किया जाये। तत्पश्चात केन्द्रों पर उपलब्ध पोषाहार जैसे–जैसे समाप्त हो स्वयं सहायता समूहों से पोषाहार की आपूर्ति प्राप्त की जावें।

कलस्टर स्तरीय प्रशिक्षण के लिए उनकी संख्या एवं स्वीकृत बजट राशि संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर जिले से प्रस्ताव प्राप्त नही होने के कारण तृतीय चरण में नही जोड़ा गया है।

उदयपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा एवं चित्तौडगढ़ जिले में जिला स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके है अतः इन जिलों में चयनित परियोजना में कलस्टर स्तर पर ही प्रशिक्षण होगे। अतः इन जिलों के उप निदेशक कलस्टर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यकम तैयार कर एक सप्ताह में भिजवाना सुनिश्चित करें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज0 जयपुर

S.N.: F:/WCD/ICDS/( )/UNI-Cons/09/ 62678-683 Dated 17.9.09

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरि. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
3. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) मुख्यालय।
4. कार्यकारी निदेशक, स्वयं सहायता समूह, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर। कृपया स्वंय सहायता समूहों के चयन बाबत् सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश प्रेषित करें।
5. श्रीमती लक्ष्मी भवानी, बाल एवं पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ जयपुर।
6. उपनिदेशक (बाल विकास) ....
7. प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि विभागीय बेबसाईट पर लोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

प्रोग्रामर जी

तृतीय चरण हेतु निम्नानुसार परियोजनाओं का चयन किया गया है :-

क्र.सं.	जिला का नाम	तृतीय चरण हेतु चयनित परियोजना	कुल केन्द्र की संख्या	कलस्टर की संख्या
1	अजमेर	अजमेर - शहर	115	23
2	अलवर	थानागाजी	170	34
3	बीकानेर	नोखा	260	52
4	बाड़मेर	बाड़मेर - शहर	110	22
5	भीलवाड़ा	माण्डल	190	38
6	भरतपुर	सेवर	165	33
7	बूंदी	तालेड़ा	270	54
8	बारां	अटरू	141	28
9	चित्तौड़गढ़	डूंगला	92	19
10	चूरू	रतनगर	147	30
11	डूंगरपुर	बिछीवाड़ा	307	62
12	दौसा	सिकराय	189	38
13	हनुमानगढ़	भादरा	200	40
14	जयपुर	चाकसू	204	41
15	जोधपुर	लूणी	203	41
16	जैसलमेर	पोकरण	172	35
17	झालावाड़	खानपुर	154	31
18	झुन्झुनू	सूरजगढ़	149	30
19	जालौर	आहोर	144	29
20	कोटा	चेचट	183	37
21	करौली	टोडाभीम	186	37
22	नागौर	डीडवाना-शहर	110	22
23	पाली	जैतारण	170	34
		सोजत	162	33
24	सीकर	फतेहपुर- शहर	100	20
25	सिरोही	पिण्डवाड़ा	184	37
26	श्री गंगानगर	रायसिंहनगर	176	35
27	राजसमन्द	कुम्भलगढ़	141	28
28	टोंक	टोंक-शहर	90	18
29	उदयपुर	मावली	160	32
		भीण्डर	242	48
		खेरवाड़ा	270	54
		उदयपुर-शहर	136	27
		गिर्वा	206	41
		कुल योग	5898	1183

Letter [illegible] Decentralized Supplementary Nutrition Prog in the Phase III

Cluster Budget

S.No.	Activity	Unit	Total
1	Hon. 2 RPs	150*2	300
2	RPs /Out of Pocket allowance	75*2	150
3	TA for Participant from SHG &AWW	15*15	225
4	Out of Pocket allowance to Participants	15*30	450
5	Demonstration material		100
	TOTAL		**1225.00**
			1225 X 1183

कलस्टर

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द से SHG की महिलाएं 2

तथा प्रयेक आंगनवाड़ी केन्द से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता 1

-----

3 महिला प्रत्येक केन्द्र से

5 केन्द्रों को मिलाकर एक कलस्टर

5 केन्द्र * 3 महिला = 15 महिलाए

SHG की ऐसी 2 महिलाओं का चयन किया जावे जो बेबी मिक्स बनाने में रूचि रखती हो एवं समूह की अन्य महिलाओं को भी बेबी मिक्स तैयार करने के लिये प्रशिक्षण दे सकती हो।